	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरों के	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबूलाल v/s महिपालसिंह	
3/1/22	बाबूलाल उप० प्रतिवादी श्री राकेश जोशी ने और संख्या 2 तथा प्रतिवादी श्री मंडल चौधरी ने अभी संख्या 4 की ओर से ब.प्रा. पेश करने हेतु पत्र भेजा दिया जाता है। प्रतिवादी श्री मंडल चौधरी ने अपने संख्या 3 की ओर से ब.प्रा. पेश किया। पक्षकारों आगामी दिनांक 2/3/22 को पेश हो	
2/3/22	बाबूलाल उप० प्रतिवादी श्री मनिष जोशी ने अपने संख्या 4 की ओर से ब.प्रा. पेश किया। प्रा.दि. है। प्रतिवादी श्री मंडल चौधरी ने अपने संख्या 3 की ओर से ब.प. पेश किया प्रा.दि. है। पक्षकारों आगामी दिनांक को पेश करें ब.प्रा. रिप्लाई व लिखित तर्क के पेश करें 25/4/22 को पेश हो	
25/4/22	बाबूलाल उप०। आदेश 8 नियम 1 के 3 वाले प्र.प्रा. पत्र प्रति के 4 के 6 वाले बयान लेने पत्र पेश करने आगामी दि 22/06/22 को पेश हो	
22/6/22	बाबूलाल उप० प्रतिवादी श्री के प्रार्थना पत्र आगामी आगे पत्र U/O 42 R.T. Act का विलंब करने का पेश किया, प्रा. सि. है। प्रतिवादी श्री मय प्रार्थना के निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हुआ है और श्री [illegible] समझौता है। प्रार्थना पत्र [illegible] पत्र [illegible] आगामी मा. प्रार्थना पत्र [illegible] आगामी	सरोज (प्रार्थी)

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रखेट हेतु आवेदन पत्र को आदेश विड्रॉवल खारिज करने की इल्तजा की है। मूल याचिकाकर्ता आवेदक के आवेदन पत्र के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 312 R.T. Act 1881 का जरिये विड्रॉवल स्वायत्त (मूल. वा. पत्र लौटाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए) किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से कम हो।